क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

266
सितंबर
2001

बैंकिंग

निर्यातकों के लिए पैकेज

ब्याज दर

रिज़र्व बैंक ने निर्यात ऋण के लिए ब्याज दरों में सभी स्तरों पर 1.0 प्रतिशत पॉइंट की कटौती की है। यह कटौती पोतलदानपूर्व और पोतलदान के पश्चात, दोनों तरह के ऋणों पर लागू होगी।

बैंक, निर्यातकों से जो अधिकतम दर वसूल करें, वह 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व ऋण के लिए और पोतलदान के पश्चात 90 दिन तक के लिए, उनकी प्रमुख ऋण दर (पीएलआर) से 2.5 प्रतिशत पॉइंट कम होगी। इससे पूर्व, अधिकतम दर, प्रमुख ऋण दर से 1.5 प्रतिशत पॉइंट कम थी। यह अतिरिक्त रियायत 26 सितंबर 2001 से बैंकों द्वारा मंजूर सभी निर्यात ऋणों पर लागू होगी और 31 मार्च 2002 तक लागू रहेगी।

रुपया ऋण के लिए उपर्युक्त सुविधा के अलावा निर्यातकों को अत्यधिक ऊंची अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर अपनी पसंद की मुद्रा में विदेशी मुद्रा ऋणों की सुविधा भी जारी रहेगी। निर्यातकों को विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए दर लिबोर + अधिकतम 1.0 प्रतिशत पॉइंट जारी रहेगी। इस तरह मौजूदा डॉलर के वर्चस्व वाले विदेशी मुद्रा ऋण निर्यातकों द्वारा 3.0 प्रतिशत से अनधिक (लिबोर दर) + 1.0 प्रतिशत अर्थात् 4.0 प्रतिशत पर लिये जा सकते हैं।

बड़े मूल्य के निर्यात

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से छ: चुनिंदा उत्पादों, अर्थात् फार्मास्यूटिकल्स, कृषि रसायन, परिवहन उपकरण, सीमेंट, लोहा तथा इस्पात, विद्युतीय मशीनरी के बड़े मूल्य के निर्यातों के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज की भी घोषणा की है। इन उत्पादों के विनिर्माता निर्यातक, जिनके निर्यात करारों का मूल्य एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक है, विशेष वित्तीय पैकेज के लिए पात्र होंगे। पैकेज की वैधता अवधि पहली अक्तूबर 2001 से एक वर्ष की होगी।

विशेष वित्तीय पैकेज के अंतर्गत आनेवाले निर्यातकों को सामान्य निर्यात ऋणों के लिए लागू क्रमश: 270 दिन और 180 दिन की अवधियों की तुलना में पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर स्थितियों की अधिकतम 365 दिन की विस्तारित अवधि के लिए ब्याज की रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अलावा, पोतलदानपूर्व स्थिति में 270 दिन के बाद के अवधि के लिए और 365 दिन तक के लिए निर्यात ऋण की ब्याज दर वही होगी जो सामान्य पोतलदानपूर्व ऋण के लिए 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक होती है। 180 दिन से अधिक और 365 दिन तक पोतलदानोत्तर ऋण भी उसी ब्याज दर पर लागू होंगे जो 90 दिन से अधिक और 180 दिन तक की अवधि के लिए सामान्य पोतलदानोत्तर ऋण पर लागू होते हैं।

इस व्यवस्था के अंतर्गत पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर ऋण के लिए बढ़ायी हुई अवधि के लिए घटाकर पीएलआर का अधिकतम + 0.5 प्रतिशत कर दी गयी हैं। इस समय ये ब्याज दरें बैंकों द्वारा वाणिज्यिक आधार पर निर्धारित की जाती हैं। सामान्यत: ब्याज दर पीएलआर का अधिकतम + 4 प्रतिशत तक रहती है। चुनिंदा उत्पादों में बड़े मूल्यों के निर्यातों के लिए लागू यह उपाय निर्यात ऋण पर अधिकतम ब्याज दरों में हर स्तर पर प्रतिशत पाइंट की कटौती के अलावा है।

इसके अलावा, एक्ज़िम बैंक को यह अनुमति होगी कि वह रिज़र्व बैंक को संदर्भ भेजे बिना 200 करोड़ रुपये तक खरीदार ऋण दे। इसी तरह की अनुमति सहभागी बैंकों को भी दी जायेगी। निर्यात करार अनुमोदित करते समय एक्ज़िम बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह रिज़र्व बैंक को कार्योत्तर रिपोर्ट करने की शर्त पर न्यूनतम अग्रिम/डाउन पेमेंट, जमानत तथा ईसीजीसी कवर की उपलब्धता के बारे में निर्णय ले। भारतीय निर्यातकों को भी विशेष वित्तीय पैकेज के अंतर्गत लिबोर + 1.0 प्रतिशत तक ब्याज की दर पर 180 दिन से परे की अवधि के लिए ऋण शर्तों पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति होगी। इस समय लिबोर + 0.75 प्रतिशत (अधिकतम) ब्याज दर की व्यवस्था है।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग	
• निर्यातकों के लिए पैकेज	1
• मार्जिन ट्रेडिंग के लिए बैंक वित्त	2
• अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं	2
• लाइबेरिया से कॉनफ्लिक्ट डायमंड	2
• पहचान के लिए राशन कार्ड ज़रूरी नहीं	2
• प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋणों पर दण्डस्वरूप ब्याज	2
• भुगतान लिखतें जारी करना	2
विदेशी मुद्रा	
• विदेशी संस्थागत निवेशक निवेश	3
नीति	
• प्रधानमंत्री रोज़गार योजना	3
• अंतर-शाखा खातों के लिए प्रावधान	3
• नोस्त्रो खातों का समाधान	3
• कंपनी ऋण के पुनर्विन्यास (सीडीआर)	**3-4**
चर्चा	
• जमानत हित का सृजन और अमल में लाना	4

मार्जिन ट्रेडिंग के लिए बैंक वित्त

रिज़र्व बैंक - सेबी की तकनीकी समिति ने 'मार्जिन ट्रेडिंग' लागू करने में निहित मुद्दों की जांच की है। पूंजी बाज़ार और अर्थव्यवस्था की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि भारत में बैंकों द्वारा मार्जिन ट्रेडिंग के वित्तपोषण की अनुमति दी जानी चाहिए।

रिज़र्व बैंक - सेबी की तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्रायोगिक तौर पर यह निर्णय किया गया है कि मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्त प्रदान करने की बैंकों को अनुमति दी जाये, जो 11 मई 2001 को निर्धारित पूंजी बाज़ार के लिए बैंकों के ऋण आदि जोखिम की निर्धारित 5 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर होगी। तदनुसार, बैंक मार्जिन ट्रेडिंग के लिए दलालों को बैंक वित्त सक्रिय व्यापार वाली उन स्क्रिपों के लिए प्रदान कर सकते हैं जो एनएसई-निफ्टी और बीएसई-सेन्सेक्स की भाग हैं। ये कतिपय दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे।

ये दिशा-निर्देश 60 दिनों की अवधि (अर्थात् 22 नवंबर 2001 तक) के लिए वैध होंगे। प्राप्त अनुभव के आधार पर इन दिशा-निर्देशों के कार्य की समीक्षा की जायेगी और उसके बाद नये दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

जो बैंक मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्त प्रदान करना चाहें उन्हें निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए :

(क) न्यूनतम मार्जिन

मार्जिन ट्रेडिंग के लिए दी गयी निधियों पर बैंकों द्वारा 40 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन रखा जायेगा।

(ख) जोखिम प्रबंधन

(i) मार्जिन से खरीदे गये शेयर अभौतिक (डिमैटिरियलाइज्ड) रूप में होने चाहिए और ऋण देने वाले बैंक के पास गिरवी होने चाहिए।

(ii) मार्जिन (40 प्रतिशत) की निगरानी के लिए बैंकों को उपयुक्त प्रणालियां लागू करनी चाहिए। यदि शेयर दलाल/ग्राहक मांगे गये मार्जिन को पूरा न करें तो ऋण देने वाले बैंक को चाहिए कि संपार्श्विक जमानत/खरीदे गये शेयरों का तत्काल समापन करे और ऋण का समायोजन करे।

(iii) बैंक के निदेशक मंडल को चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित करें कि मार्जिन ट्रेडिंग के संबंध में स्टॉक दलाली करने वाली कंपनियों/स्टॉक दलालों की अंत:संबद्ध कंपनियों और बैंक के बीच कोई 'दुरभिसंधि (नेक्सस)' न बन पाये। बैंक द्वारा मार्जिन ट्रेडिंग का फैलाव अनेक दलालों और शेयर दलाली करने वाली कंपनियों के बीच उचित रूप से हो। बैंक से मार्जिन ट्रेडिंग की सुविधा लेने वाले शेयर दलालों द्वारा अपनी संबद्ध कंपनियों, रिश्तेदारों या कारोबार में संबद्ध अथवा प्रवर्तकों/बैंक के निदेशकों को इस सुविधा के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऋण देने पर पाबंदी होनी चाहिए। बैंकों को मार्जिन ट्रेडिंग के अंतर्गत उधार दी गयी निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने की भी उपयुक्त प्रणाली अपनानी चाहिए।

मूल्य तय करना और प्रकट करना

इससे पूर्व मई 2001 में बतायी गयी प्रकट करने से संबंधित अपेक्षाओं के अतिरिक्त बैंकों को चाहिए कि वे अपने तुलनपत्र में 'लेखा संबंधी टिप्पणियों' में मार्जिन ट्रेडिंग के लिए दिये गये कुल वित्त को प्रकट करें।

अन्य शर्तें

अन्य बातों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व में निर्धारित नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी और लागू होंगी।

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं

रिज़र्व बैंक ने भारतीय अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को यह सूचित किया है कि वे अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण मंजूर करने के संबंध में जारी दिशानिर्देशों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए अपने नियंत्रक कार्यालयों तथा शाखाओं को यथोचित अनुदेश जारी करें। ये अनुदेश अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण प्रदान करने में बैंकों द्वारा की गई प्रगति के मूल्यांकन और इस विषय पर बैंक अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए किये गये अध्ययन के आलोक में किये गये थे। यह अध्ययन अल्पसंख्यकों की आर्थिक समस्याओं के व्यापक मूल्यांकन हेतु अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में किया गया था।

रिज़र्व बैंक ने अपने दिशा निर्देशों में ये अनुदेश दिये हैं कि अल्पसंख्यक सकेन्द्रण जिलों में अग्रणी बैंक अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण प्रवाह में गति पर विशेष ध्यान दें। अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण प्रवाह पर निगरानी और समीक्षा को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिये। इन मुद्दों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति/जिला समन्वय समिति की बैठकों में, विशेष रूप से उन जिलों में, जिनकी पहचान अल्पसंख्यक समुदायों की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए की गई है, चर्चा हेतु उठाया जाना चाहिए और ऋण प्रवाह की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। स्टाफ के लिए सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समुचित व्याख्यान सत्र सम्मिलित किये जाने चाहिए ताकि वे अल्पसंख्यक समुदायों की ऋण आवश्यकताओं के प्रति और अधिक सकारात्मक रवैया अपनाएं। अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों में बैंकों से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं के प्रति और जागरुकता उत्पन्न करनी चाहिए।

उन सभी 44 ज़िलों में, जिनकी इस रूप में पहचान की गयी है कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय अधिक घने बसे हुए हैं, अग्रणी बैंकों को चाहिए कि वे वहां अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण के संबंध में समस्याओं को देखने के लिए अलग से एक अधिकारी तैनात करें और इन ज़िलों में ऐसे पदनामित अधिकारियों के नाम अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय आयोग को भेजे जाने चाहिए।

लाइबेरिया से कॉनफ्लिक्ट डायमंड

रिज़र्व बैंक ने समस्त बैंकों को यह सूचित किया है कि वे बैंक उन ग्राहकों से, जिन्हें लाइबेरिया से कॉनफ्लिक्ट डायमंड के आयात सहित हीरे से संबंधित किसी भी तरह का कारोबार करने के लिए ऋण दिया जाए, संशोधित फॉर्मेट में नये सिरे से वचन-पत्र प्राप्त करें। ऐसा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लाइबेरिया से सभी प्रकार के अपरिष्कृत हीरों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आयात पर भी लगाये गये प्रतिबंध के आलोक में किया गया है, भले ही इन हीरों का उद्गम स्थान लाइबेरिया हो या न हो।

कॉनफ्लिक्ट डायमंड के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अब तक पारित किए गए संकल्प के अनुसार यह अपेक्षित है कि इनसे संबंधित प्रतिबंधों/निषेधों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना संयुक्त राष्ट्र को तुरंत दी जानी चाहिए। इसे दृष्टिगत रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र के इन संकल्पों के प्रावधानों के उल्लंघन की वाणिज्यिक बैंकों को जब भी जानकारी मिले, वे उससे तुरंत रिज़र्व बैंक को अवगत कराएँ।

पहचान के लिए राशन कार्ड ज़रूरी नहीं

सरकार के निर्देश पर, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी शाखाओं को अनुदेश दें कि वे व्यक्तियों की पहचान करने अथवा आवास के सबूत के प्रयोजनों के लिए राशन कार्ड मांगने का आग्रह न करें। इसके बजाये, अन्य विधिसम्मत दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट, वाहन चालक लाइसेन्स, मतदाता का पहचान पत्र, आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी पहचान पत्र आदि पत्रों का सत्यापन करने/व्यक्तियों की पहचान करने के लिए विचार किया जा सकता है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये गये ऋणों पर दण्डस्वरूप ब्याज

यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण की 25,000/-रुपये तक की राशि पर, बैंक दण्डस्वरूप ब्याज की वसूली न करें। अलबत्ता, 25,000/-रुपये से अधिक के ऋणों पर बैंक दण्ड स्वरूप ब्याज की वसूली के लिए बनायी गयी अपनी नीतियों के अनुसार इसके लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों के निदेशक मंडलों को पहले ही इस बात के लिए प्राधिकार दिये गये हैं कि वे पारदर्शिता, निष्पक्षता, ऋण सेवा में प्रोत्साहन के स्वीकृत सिद्धांतों तथा ग्राहकों की तकलीफों को यथोचित मान देते हुए चुकौती में चूक, वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुत न किये जाने आदि के मामलों में इस तरह की नीति निर्धारित कर सकते हैं।

भुगतान लिखतें जारी करना

रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सावधान किया है कि वे समाशोधन के लिए प्रस्तुत किये गये लिखतों की जमानत पर, उनकी राशि प्राप्त हुए बिना और संबंधित खाताधारकों के खातों में जमा हुए बिना, बैंकर चेक/भुगतान आदेश जारी न करें। यह बात बैंक के ध्यान में आयी है कि कुछ बैंकों ने समाशोधन के लिए प्रस्तुत लिखतों की जमानत पर उनकी राशि वसूल हुए बिना बड़ी राशियों के बैंकर चेक/भुगतान आदेश जारी किये थे। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि वे खाताधारकों के अनुरोध पर उन नकदी ऋण/ओवर ड्राफ्ट खातों को नामे डालकर बैंकर चेक/भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट जारी न करें जो पहले ही स्वीकृत सीमा से अधिक ओवरड्रा हो गये हैं अथवा ऐसे लिखतों के जारी किये जाने से जिनके ओवरड्रा हो जाने की संभावना है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी संस्थागत निवेशक निवेश रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि अब से विदेशी संस्थागत निवेशक, भारतीय कंपनियों में निवेश 24 प्रतिशत से बढ़ाकर, यथालागू, क्षेत्रीय अधिकतम सीमा/सांविधिक अधिकतम सीमा तक कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए भारतीय कंपनी के निदेशक मंडल का और साथ ही उसकी आम सभा का भी अनुमोदन हो।

नीति

प्रधानमंत्री रोज़गार योजना रिज़र्व बैंक ने सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि वे प्रधानमंत्री रोज़गार योजना को लागू करने में की गयी प्रगति की तत्काल समीक्षा करें और अपने नियंत्रक कार्यालयों/शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करें कि उनके लिए निर्धारित लक्ष्य पूरे किये जाते हैं। योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने में बैंकों द्वारा किये गये प्रयासों से भारतीय रिज़र्व बैंक को यथाशीघ्र अवगत कराया जाये।

रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि 6 फरवरी 2001 को आयोजित प्रधानमंत्री रोज़गार योजना पर ग्यारहवीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति में किये गये निर्णय के अनुसार जिन बैंकों की 5 से कम शाखाएं हैं, अगर ऐसे बैंकों का लक्ष्य, राज्य के कुल लक्ष्य के 2 प्रतिशत या उससे कम होता है तो उन्हें प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्य आबंटित नहीं किये जाने चाहिये।

अंतर-शाखा खातों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि अंतर-शाखा खातों में शुद्ध नामे स्थिति के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान करने के लिए अनुमत अवधि को 31 मार्च 2002 को समाप्त होनेवाले वर्ष से दो वर्ष से घटा कर एक वर्ष कर दिया जाये। आपको याद होगा कि रिज़र्व बैंक के 1993 के अनुदेशों के अनुसार, बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे छः महीनों के भीतर अंतर-बैंक प्रविष्टियों का समाधान करें। इन अनुदेशों का पालन करने में बैंकों को जो तत्काल कदम उठाने हैं, उनके प्रयासों में गति लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 1999 में सूचित किया था कि वे प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया (नामे और जमा दोनों) समाधान न की गयी प्रविष्टियों के लिए 100 प्रतिशत का प्रावधान करें। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि वे 31 मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार एक वर्ष से अधिक के लिए अंतर बैंक खातों में समाधान न की गयी बकाया प्रविष्टियों की श्रेणीवार शुद्ध स्थिति निकालें तथा सभी श्रेणियों के अंतर्गत सकल शुद्ध नामे का 100 प्रतिशत प्रावधान करें। बैंकों को निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए भी सूचित किया गया है :

i) ब्लॉक किये गये खाते में जमा शेष राशियों को भी हिसाब में लिया जाना है।
ii) किसी एक श्रेणी में शुद्ध नामे को किसी अन्य श्रेणी में शुद्ध जमा के खिलाफ सेट-ऑफ नहीं किया जाना चाहिए।

नोस्त्रो खातों का समाधान भारतीय रिज़र्व बैंक ने समस्त वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि वे 30 सितंबर 2001 की स्थिति के अनुसार बैंकों की बहियों में आनेवाले विविध लेनदारों/दावा न की गयी जमाराशियों को तुलनपत्र में 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान - अन्य' के अंतर्गत विशिष्ट ब्लॉक किये गये खातों में अंतरित करें। ब्लॉक किये गये खातों में शेष राशियों को नकदी प्रारक्षित अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने के प्रयोजन के लिए को गिना जायेगा। आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि विविध लेनदारों/दावा न की गयी जमाराशियों के खातों में ये शेष राशियां अप्रैल 1996 से पहले की अवधि से संबंधित प्रविष्टियां एक साथ रखने तथा पहली अप्रैल 1996 को या उसके बाद तथा तीन वर्ष के अधिक की अवधि के लिए नोस्त्रो/मिरर खातों में मूल रूप से शुरू होनेवाली जमा प्रविष्टियों को प्रदर्शित करेंगी।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे ब्लॉक किये गये खातों में अंतरित प्रविष्टियों के समाधान के कार्य को गंभीरता से आगे बढ़ायें और ब्लॉक किये गये खातों में से किसी भी समायोजन की अनुमति दो अधिकारियों के प्राधिकार के बाद ही दी जानी चाहिए और यदि राशि एक लाख रुपये से अधिक है तो उनमें से एक अधिकारी संबंधित शाखा से बाहर का, और हो सके तो नियंत्रक/प्रधान कार्यालय में से होना चाहिए।

आपको याद होगा, रिज़र्व बैंक ने अपने पिछले परिपत्र में बैंकों को निम्नलिखित के बारे में सूचित किया था :

(क) 31 मार्च 1996 तक की अवधि से संबंध रखने वाले नोस्त्रो खातों में से प्रत्येक जमा/नामे प्रविष्टियों को, 31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार जिसका समाधान नहीं किया गया था, संबंधित मिरर एकाउंट में नामे/जमा प्रविष्टियों के खिलाफ उन्हें नेट-ऑफ करें।

(ख) सकल शुद्ध नामे तथा सकल शुद्ध जमा स्थितियों की गणना करें और ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक खाते में शुद्ध नामे स्थिति को दूसरे खाते की शुद्ध जमा स्थिति के पास या इसके विपरीत सेट-ऑफ न करें।

(ग) 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के खातों में सकल शुद्ध नामे राशि को लाभ तथा हानि खाते में तथा सकल शुद्ध जमा राशि को विविध लेनदार खाते में अंतरित करें।

(घ) नोस्त्रो तथा मिरर खातों में ऐसी सभी समाधान न की गयी नामे प्रविष्टियों के लिए, जो पहली अप्रैल 1996 को या उसके बाद मूल रूप में शुरू हुई थीं और अब 3 वर्ष से अधिक से बकाया हैं, के लिए प्रत्येक वर्ष शत प्रतिशत प्रावधान करें तथा नोस्त्रो तथा मिरर खातों में ऐसी सभी समाधान न की गयी जमा प्रविष्टियों को, जो पहली अप्रैल 1996 को या उसके बाद मूल रूप से शुरू हुई थीं और 3 वर्ष से अधिक के बकाया हैं, को दावा न किये गये जमा खाते जैसे किसी खाते में प्रत्येक वर्ष अंतरित करें। चूंकि विविध लेनदार/दावा न किये गये जमा खातों में रखी राशियां समाधान न की गयी राशियां दर्शाती हैं और कुछेक मामलों में से राशियां बड़ी भी हो सकती हैं, और इस वजह से उनमें धोखाधड़ी की आशंका हो सकती है। इस तरह की शेष राशियों का क्या उपचार किया जाये, इस बारे में बैंकों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर रिज़र्व बैंक ने मामले की जांच की।

कंपनी ऋण के पुनर्विन्यास (सीडीआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ व्यापक चर्चाएं करके कंपनी ऋण के पुनर्विन्यास (सीडीआर) को अंतिम रूप दिया है। यह योजना सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों को छोड़ कर) द्वारा लागू की जानी है।

कंपनी ऋण पुनर्विन्यास तंत्र ऋणकर्ता-ऋणदाता करार तथा अंतर-ऋणकर्ता करार पर आधारित गैर-सांविधिक, स्वैच्छिक प्रणाली होगी। यह केवल मानक तथा अवमानक खातों पर लागू होगी। इस योजना का लक्ष्य आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित संभाव्य क्षमता वाली कंपनियों के कंपनी ऋणों के पुनर्विन्यास के लिए समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना है। इस तरह की इकाइयां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर), ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) तथा अन्य कानूनी कार्यवाहियों की परिधि से बाहर हों। उक्त योजना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास केवल 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक के बकाया ऋणों के बहुविध बैंकिंग खातों/सिंडिकेट/सहायता संघीय खातों पर ही लागू होगी।

कंपनी ऋण पुनर्विन्यास प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी मानक और अवमानक खाते ऋणदाता द्वारा उनके सामान्य नीतिगत मापदंडों और पात्रता मानदंडों के अनुसार नीतिगत आवश्यकताओं के लिए नये वित्तपोषण के पात्र बने रहेंगे।

सीडीआर समूह को प्रेषित करने से पहले निर्दिष्ट अवधि के लिए खाते/कंपनी के बीमार होने, अनर्जक आस्ति या चूक करने वाली होने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, अनर्जक आस्तियों के संभाव्य रूप से अर्थक्षम मामलों को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी भी स्थिति में जानबूझ कर चूक या अपकरण करने वाली किसी कंपनी के अनुरोध पर सीडीआर के अंतर्गत पुनर्विन्यास के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

ढांचागत विन्यास

कंपनी ऋण पुनर्विन्यास प्रणाली का ढांचा तीन स्तरीय होगा: कंपनी ऋण पुनर्विन्यास स्थायी मंच, कंपनी ऋण पुनर्विन्यास अधिकार प्राप्त समूह तथा कंपनी ऋण पुनर्विन्यास कक्ष। कंपनी के पुनर्विन्यास की संभावना तथा उसके संभावित रूप से अर्धक्षम होने की जांच सीडीआर के अलग-अलग मामलों पर विचार करने के लिए गठित अधिकार प्राप्त समूह द्वारा की जायेगी। यह समूह पुनर्विन्यास पैकेज का भी अनुमोदन करेगा। कंपनी ऋण पुनर्विन्यास अधिकार प्राप्त समूह में बैंकों के प्रतिनिधि वरिष्ठ तंत्र के

अगले पृष्ठ पर जारी

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2001
29 तथा 30 सितंबर 2001 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

चर्चा

जमानत हित का सृजन और अमल में लाना

भारत सरकार द्वारा नियुक्त श्री एम आर उमरजी, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यदल ने हाल ही में एक विधेयक प्रस्तुत किया है जो मुख्य रूप से चूक की स्थिति में जमानतों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को अधिकार देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। विधेयक के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं:

* विधेयक के अनुसार जमानत हित की परिभाषा उधारकर्ता को मंजूर किसी वित्तीय सहायता को संरक्षित करने के लिए किसी संपत्ति पर सृजित कोई प्रभार अथवा हित है। इस परिभाषा के अंतर्गत बंधक, प्रभार, दृष्टिबंधक, समनुदेशन (असाइनमेंट), पुनर्ग्रहण अधिकार (लिएन) तथा ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति में हित का कोई अन्य हस्तांतरण है।
* संपत्ति की परिभाषा में चल और अचल दोनों संपत्तियाँ शामिल हैं।
* संरक्षित उधारकर्त्ता की परिभाषा के अंतर्गत कोई बैंक, वित्तीय संस्था या भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था या कोई डिबेंचर न्यासी अथवा अन्य कोई इकाई है/जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की ओर से जमानतें रखती है।
* विधेयक की शर्तों के अनुसार चूक का अर्थ है मूल राशि या उसके अधीन ब्याज अथवा किसी अन्य देय राशि के भुगतान में चूक जिसके कारण संपत्ति खाते का अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण किया जाता है।
* प्रारूप विधेयक में इस बात का भी प्रावधान है कि चल अथवा अचल संपत्तियों पर सृजित जमानत हित के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए एक केन्द्रीय कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री स्थापित की जाये तथा यह प्रस्ताव है कि केवल ऐसे मामलों में प्रवर्तन का अधिकार उपलब्ध कराया जाये जहां पंजीकरण उपलब्ध है।
* वर्तमान विधि के अंतर्गत, जमानत हित के कई विशेष प्रकारों जैसे, दृष्टिबंधन के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं। दृष्टिबंधन के जरिए जमानत एक ऐसा प्रमुख जमानत हित है जो बैंक तथा वित्त संस्थाएं अपनाती हैं, लेकिन इसे संचालित करनेवाला कोई कानून नहीं है। प्रारूप विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि किसी भी प्रकार के जमानत हित, जिसमें दृष्टिबंधन शामिल है, जो ऋण की चुकौती सुनिश्चित करने के लिए सृजित किया जाता है, को जमानत हित के रूप में माना जाये।
* यदि इस तरह का जमानत हित केन्द्रीय कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री के अंतर्गत पंजीकृत है तो चूक की दशा में संरक्षित उधारकर्ताओं को 90 दिन का नोटिस देने के बाद जमानतों का कब्जा लेने का हक रहेगा और वह जमानतों को ऋण की वसूली के लिए बेच सकेगा।
* बिक्री होने तक, जमानतों का कब्जा होने के बाद रिसीवर की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है।
* यदि कब्जा लेने के संबंध में लेनदार की ओर से रुकावट पैदा की जाती है तो संरक्षित देनदार कब्जा लेने की सहायता के लिए चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जा सकता है।
* जमानतों का कब्जा लेने में बैंक/वित्तीय संस्था की कार्रवाई के खिलाफ जमानत की बिक्री के बाद ऋण वसूली की ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, देनदार जमानतों को बिक्री द्वारा मुद्रा में बदलने पर आपत्ति नहीं उठा सकते हैं।
* चूंकि विधेयक का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अत्यधिक अधिकार प्रदान करना है, ये उधारकर्ताओं को भी अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह व्यवस्था है कि उधारकर्ता जमानत करार तथा लगाये जानेवाले ब्याज की दरों के साथ खातों की आवधिक विवरणियों की प्रति प्राप्त करे। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार जमानतों का कब्जा लेने और बिक्री के लिए क्रियाविधि को नियमों द्वारा निर्धारित करे।
* इंगलिश मार्टगेज को छोड़कर, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बंधककर्ता को अदालत के दखल के बिना बंधक रखी गयी संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं है। प्रारूप विधि में सभी प्रकार के बंधकों को, जिनमें टायटल डीड को जमा करा कर बंधक रखना शामिल है, जमानत हित के रूप में मान्यता दी जाती है। इसमें यह प्रावधान किया है कि इस तरह के बंधकों के नोटिस को केन्द्रीय कंप्यूटरीकृत रजिस्टर में पंजीकृत कराया जा सके। इन प्रावधानों के कारण बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को यह अधिकार मिल जायेगा कि वे बंधक रखी गयी संपत्तियाँ कब्जे में लें और प्रस्तावित कानून द्वारा क्रियाविधि को अपनाने के बाद उन्हें बेच सकें।
* छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तावित कानून के अंतर्गत मौजूदा जमानत हित के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए भी एक प्रावधान रखा गया है।
* विधेयक में सुझाव दिया गया है कि नयी कंप्यूटरीकृत केन्द्रीय प्रणाली, मौजूदा पंजीकरण अधिनियम/कंपनी अधिनियम/मोटर वाहन अधिनियम/व्यापारी जहाजरानी अधिनियम के अंतर्गत मौजूदा पंजीकृत प्रणालियों के साथ-साथ संचालित हो। दूसरे शब्दों में, प्रस्तावित कानून के अंतर्गत हालांकि पार्टियों के हक, जिम्मेदारियां और बाध्यताएँ पंजीकरण से संबंधित मौजूदा प्रावधानों द्वारा संचालित होंगे, जमानतों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने का अधिकार नये कानून के अंतर्गत उपलब्ध होगा।
* यह अपेक्षा की जाती है कि नयी कंप्यूटरीकृत केन्द्रीय रजिस्ट्री प्रणाली समय के साथ-साथ स्थिर हो जायेगी और बाद की किन्हीं तारीखों को अन्य पंजीकृत प्रणालियों को नयी रजिस्ट्री के साथ मिलाकर एक बनाया जा सकता है।
* प्रस्तावित कानून के अंतर्गत सभी कार्रवाई परिसीमा (लिमिटेशन) के सामान्य कानून के अधीन होंगे और इस तरह प्रस्तावित कानून के अंतर्गत कार्रवाई के लिए सीमा अवधि को निर्धारित करनेवाले कोई प्रावधान नहीं बनाये गये है।
* प्रस्तावित कानून के प्रावधान बाध्यकारी नहीं होंगे और बैंकों को इस बात की अनुमति होगी कि वे नयी रजिस्ट्री के अंतर्गत संरक्षित ऋण लेनदेनों को पंजीकृत न करायें।
* एक लाख रुपये से कम के छोटे मूल्य के लेनदेनों को नये कानून में लाने का प्रस्ताव नहीं है। कानून को लागू करने में अन्य छूटें अधिनियम की अनुसूची में दी गयी है। केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वे अनुसूची में कोई प्रविष्टि जोड़ या हटा सकती है।

प्रारूप विधेयक संगठनों तथा इच्छुक व्यक्तियों के अभिमतों/विचारों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर रखा गया है।

कंपनी ऋण के पुनर्विन्यास (सीडीआर)

पिछले पृष्ठ से जारी

अधिकारी होने चाहिए जिन्हें ऋणों के पुनर्विन्यास के संबंध में अपने बैंकों की ओर से निर्णय ले सकने का अधिकार हों।

स्थायी मंच नीतियां तथा दिशा-निर्देश निर्धारित करेगा और सीडीआर को दिशा-निर्देश देगा और उस पर निगरानी रखेगा। बैठकें आयोजित करने तथा नीति संबंधित निर्णय लेने में सीडीआर कोर ग्रुप स्थायी मंच की सहायता करेगा। सीडीआर के अलग-अलग मामले सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह द्वारा तय किये जायेंगे। यह समूह अनिवार्य रूप से ऋण के पुनर्विन्यास के प्रत्येक मामले को देखेगा, कंपनी की अर्थक्षमता तथा पुनर्विन्यास की संभावना की जांच करेगा तथा 90 दिन की निर्दिष्ट अवधि अथवा अधिकार प्राप्त समूह को मामला प्राप्त होने के अधिक से अधिक 180 दिन के भीतर पुनर्विन्यास पैकेज को अनुमोदित करेगा। कंपनी ऋण पुनर्विन्यास कक्ष सीडीआर स्थायी मंच तथा सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह को उनके समस्त कार्यों में सहायता प्रदान करेगा। यह सीडीआर कक्ष ऋणकर्ताओं/ऋणदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों की, प्रस्तावित पुनर्विन्यास योजना और अन्य सूचना मंगवा कर प्रारंभिक संवीक्षा करेगा और मामले को एक महीने के भीतर सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह के समक्ष रखेगा, ताकि यह निर्णय किया जा सके कि प्रथम दृष्ट्या पुनर्विन्यास की संभावना है या नहीं। यदि है, तो सीडीआर कक्ष ऋणदाताओं की सहायता से विस्तृत पुनर्विन्यास योजना तैयार करेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो बाहर से विशेषज्ञों को भी कार्य में लगायेगा। यदि इसे संभाव्य नहीं पाया जाता तो देनदार अपनी देय राशियों की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

इस योजना में सीडीआर के अंतर्गत पुनर्विन्यास किये गये खातों की विस्तृत लेखाकरण व्यवस्था भी है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ऍण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित। **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र। ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें। इंटरनेट www.cir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध।**